

विभिन्न मामलों में शासनादेशों / नियमों द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार विभिन्न स्तरों पर की गयी टिप्पणी के अनुसार निदेशक द्वारा निर्णय लिया जाता है। यथा आवश्यकता समय-समय पर विभागीय अधिकारियों की समिति गठित कर के उनकी अनुशंसा के आधार पर भी निर्णय लिया जाता है।